संख्या-1567 /2022/1474 ई-2/तेरह-2022-1652254

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 26 अगस्त,2022

विषयः- ए.एन.एन. हास्पिटेलिटी अण्डर नेम आफ अनप्लग्ड कोर्टयार्ड, द्वितीय तल, अरविन्द इन्नोव 8, होटल ट्राइडेंट के सामने, फतेहाबाद रोड, आगरा को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:G-203/दो-प्रा.एम.बी.(16)/लघु यवासवनी, दिनांक 22-08-2022(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 22-08-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त ए.एन.एन. हास्पिटेलिटी अण्डर नेम आफ अनप्लग्ड कोर्टयार्ड, द्वितीय तल, अरविन्द इन्नोव 8, होटल ट्राइडेंट के सामने, फतेहाबाद रोड, आगरा को 114 लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 39,900 लीटर वार्षिक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने हेतु माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना किये जाने हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि, इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा:-

(1) उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु उल्लिखित नियम एवं शर्तें।

(2) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु हेतु निर्गत कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 23-07-2022 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

(3) इकाई द्वारा स्थानीय जल उपयोगिता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(FSSAI) से रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में विहित व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(4) उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चत करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनुभाग अधिकारी

Signed by: राजवीर सिंह
Date: 26-07-2022 17:57:51
Reason: Approved

संख्या- 1771 -ई-2/तरह-20 22 1
दि- 24/08/2022
2015

तत्काल
संयुक्त सचिव
आ.का.आ.

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्याः 07-203/दो–प्रा0 एम0बी0 (16)/लघु यवासवनी

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
आबकारी विभाग,
बापू भवन, लखनऊ।

(23/08/2022)
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रयागराजः दिनांकः 22 अगस्त,2022.

विषयः– ए.एन.एन. हास्पिटेलिटी अण्डर नेम आफ अनप्लग्ड कोर्टयार्ड, द्वितीय तल, अरविन्द इन्नोव 8, होटल ट्राइडेंट के सामने, फतेहाबाद रोड, आगरा को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम0बी0–5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया ए.एन.एन. हास्पिटेलिटी अण्डर नेम आफ अनप्लग्ड कोर्टयार्ड, द्वितीय तल, अरविन्द इन्नोव 8, होटल ट्राइडेंट के सामने, फतेहाबाद रोड, आगरा द्वारा एम0बी0–2 प्रपत्र में किये गये आवेदन–पत्र दिनांक 14.03.2022 एवं जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या 246/6/जि0आ0अ0/आगरा/दिनांक 24.03.2022 (**छाया प्रतियॉ संलग्न**) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो ए.एन.एन. हास्पिटेलिटी अण्डर नेम आफ अनप्लग्ड कोर्टयार्ड, द्वितीय तल, अरविन्द इन्नोव 8, होटल ट्राइडेंट के सामने, फतेहाबाद रोड, आगरा को 114 लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 39,900 लीटर ड्राट बियर उत्पादन किये जाने हेतु माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम0बी0–5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है। प्रकरण का परीक्षण किये जाने के पश्चात् आख्या निम्नवत् हैः–

1. ए.एन.एन. हास्पिटेलिटी अण्डर नेम आफ अनप्लग्ड कोर्टयार्ड, द्वितीय तल, अरविन्द इन्नोव 8, होटल ट्राइडेंट के सामने, फतेहाबाद रोड, आगरा को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने हेतु जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या 246/6/जि0आ0अ0/आगरा/दिनांक 24.03.2022 द्वारा अभिलेख संलग्न कर संस्तुति सहित अग्रसारित की गयी है।
2. इकाई द्वारा माइक्रो ब्रिवरी में स्थापित किये जाने वाले लाटरटन, वर्ट कैटिल, फरमन्टेशन टैंक, ब्राइट बियर टैंक, हॉट वाटर टैंक, ग्लाइकॉल टैंक, सर्विस टैंक, माल्ट मिल, सी.आई.पी., पी.एल.सी. एवं फ्लो मीटर का विवरण उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही उक्त को दर्शाते हुए नील पत्र की प्रतियॉ भी उपलब्ध कराई गयी हैं।
3. माइक्रो ब्रिवरी में 114 लीटर प्रतिदिन वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 39,900 लीटर 8.0 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता की बियर का उत्पादन किया जायेगा।
4. श्री अंशुल अग्रवाल, निदेशक, (ए.एन.एन. हास्पिटेलिटी) अंडर द नेम आफ अनप्लग्ड कोर्टयार्ड, द्वितीय तल, अरविन्द इन्नोव 8, होटल ट्राइडेंट के सामने, फतेहाबाद रोड, आगरा के नाम से बार अनुज्ञापन एफ0एल0–7 संख्या 34/2020–21 दिनांक 08.10.2021 (**छाया प्रति संलग्न**) प्रदत्त है, जो वर्ष 2022–23 तक के लिये नवीनीकृत है।
5. बार लाइसेंस के अनुज्ञापी श्री अंशुल अग्रवाल पुत्र श्री संजीव कुमार अग्रवाल निवासी–3/52 बी, न्यू लाजपत कुंज, आगरा हैं। बार के साथ माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना 392.97 वर्ग मीटर में होगी, जो बार सहित माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु नियमानुसार आवश्यक क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर से अधिक है।
6. इकाई को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 23–07–2022 द्वारा वायु एवं जल प्रदूषण हेतु कन्सेन्ट प्राप्त है। (**छाया प्रति संलग्न**)
7. इकाई द्वारा एफ0एस0एस0एस0ए0आई0 का अनुज्ञापन संख्या–12719001000810 दिनांक 15.09.2020 (**छाया प्रति संलग्न**) प्राप्त किया गया है।

23.8.2022
6.00PM
RO(RK)
23/08/22

8. इकाई द्वारा अवगत कराया गया है कि परिसर में जल कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन भवन स्वामी द्वारा लगवाया गया है। इकाई द्वारा जलमूल्य तथा विद्युत मूल्य का भुगतान कन्सर्न अथॉरिटी को किया जाता है। इकाई द्वारा विद्युत मूल्य एवं जल मूल्य भुगतान की रसीद (**छाया प्रतियां संलग्न**) उपलब्ध कराया गया है।
9. जिला आबकारी अधिकारी, आगरा के अदेयता प्रमाण पत्र संख्या 285/जि0आ0अ0/आगरा/दिनांक 08.08.2022 (**छाया प्रति संलग्न**) द्वारा प्रमाणित किया गया है कि श्री अंशुल अग्रवाल, मेसर्स ए.एन.एन. हास्पिटेलिटी अण्डर नेम आफ अनप्लग्ड कोर्टयार्ड, द्वितीय तल, अरविन्द इन्नोव 8, होटल ट्राइडेन्ट के सामने, फतेहाबाद रोड, आगरा पर अभिलेखानुसार आबकारी विभाग जनपद–आगरा का कोई राजस्व बकाया नही है।
10. इकाई द्वारा चालान संख्या 220180980 दिनांक 14.03.2022 द्वारा निर्धारित लाइसेंस फीस रू0 50,000 जमा कर दिया गया है।
11. स्थापित की जाने वाली माइक्रो ब्रिवरी का अक्षांश 2.158433 एवं देशान्तर 78.061791 है। इकाई द्वारा एम0बी0–3 प्रपत्र में घोषणा पत्र उपलब्ध कराया गया है।

इस प्रकार ए.एन.एन. हास्पिटेलिटी अण्डर नेम आफ अनप्लग्ड कोर्टयार्ड, द्वितीय तल, अरविन्द इन्नोव 8, होटल ट्राइडेंट के सामने, फतेहाबाद रोड, आगरा को 114 लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 39,900 लीटर वार्षिक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने हेतु माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना किये जाने हेतु एम0बी0–5 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की औपचारिकताएं पूर्ण होने के कारण उक्त इकाई को माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है।

अतः उक्त के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में शासन स्तर पर मत स्थिर करते हुए शासन के निर्णय से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(सेंथिल पांडियन सी.)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।